न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 8/2016 (उदयपुर डिक्री)

रता डांगी पिता देवा जी डांगी, निवासी गांव फेरनियों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कंकू डांगी पत्नी रूपा जी डांगी, निवासी गांव कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती गंगाबाई डांगी पत्नी कन्हैयालाल जी डांगी, निवासी गांव फेरनियों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. शंकर डांगी पिता गंगाराम जी डांगी, निवासी गांव फेरनियों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती मन्जू सिंघवी पत्नी नरेश जी सिंघवी, निवासी 10, बाठेड़ा हाउस कॉलोनी, फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा दि0 01.06.2015 प्रकरण संख्या 5/2013 मु.दी.

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस)
1. श्री युगल किशोर अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3. श्री चन्द्रशेखर आमेटा अभिभाषक रे.से.2
4. श्री प्रकाशचन्द्र पानेरी अभिभाषक रे.से.3
5. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक
6. श्री नरपतसिंह चुण्डावत वकील न.वि.प्र.

–––:::–––

निर्णय दिनांक 20—11—2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध एक आवेदन आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 से 6 के विरूद्ध मौजा थूर की प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 18 रकबा 2.1800 हैक्टर भूमि, जो कि बाद में कुछ भूमि थूर में व कुछ भूमि फेरनियों के गुड़ा में अलग—अलग राजस्व ग्राम में दर्ज हुई, के संबंध में घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद संख्या 82/2009 प्रस्तुत किया जो प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 23—08—2010 को एकपक्षीय किया जाकर वादी की एकपक्षीय साक्ष्य ली जाकर दिनांक 08—05—2012 को एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी। प्रकरण के सम्मम मुझ प्रार्थी को नहीं मिले न ही मुझ प्रार्थी ने लेने से इंकार किया, फिर भी न्यायालय द्वारा यह कहकर कि प्रार्थी/प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक्ट पार्टी करने का आदेश दिया, जो गलत है। प्रकरण में जब मुझ प्रार्थी को तामील ही नहीं हुई न ही डाकिया या तामिल कुलिन्दा कोई सम्मन मेरे पास लेकर आये हैं। यदि तामील कुलिन्दा या डाकिया द्वारा रिपोर्ट की है तो वह वादी की मिलीभगत से करायी गयी है। मामला अचल सम्पत्ति का है तथा वादिया ने अपना हक प्रार्थी के पक्ष में हकत्याग दिया है व रिलीजडीड निस्तादित करा दी है, लेकिन एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रार्थी अपनी सबूत में रिलीजडीड गोदनामा आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है तथा इसके अलावा भी विवादित आराजी नंबर 3242/3141 रकबा 0.5500 हैक्टर भूमि मुझ प्रार्थी के नाम न्यायालय की डिक्री से डालू, नारायण पिता भेरा के नाम से जरिये नामान्तरकरण संख्या 363 से दर्ज हुई है, उसी भी इस प्रकरण में शामिल कर लिया गया है जो भी गलत है। भूमि दलाल उक्त भूमि पर आये व कहने लगे कि इस भूमि में आधा हिस्सा विपक्षी संख्या 1 कंकू का है जो हम खरीदना चाहते हैं, जिस पर प्रार्थी ने कि कंकू की यहां कोई जमीन नहीं है तो उन्होंने कहा कि कोर्ट से डिक्री हो चुकी है, जिस पर प्रार्थी दिनांक 21—06—2012 को न्यायालय में आया और पता किया तो मामुल हुआ कि विपक्षी संख्या 1 ने दावा किया है व डिक्री दिनांक 08—05—2012 को हुई है जिस पर प्रार्थी ने उसी दिन यानि 21—06—2012 को ही निर्णय व डिक्री व अन्य कागजात लेने हुते आवेदन कर नकल मिलते ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

दिया। अतएवं एकपक्षीय डिक्री 08–05–2012 व एकपक्षीय आदेश दिनांक 23–08–2010 निरस्त किया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दफा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने कथन किया कि न्यायालय द्वारा मुझ प्रार्थी को बिना सूचना दिये व बिना सुने डिक्री पारित की गयी है, जिसकी जानकारी दिनांक 21–06–2012 को होते ही नकले प्राप्त कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई देरी नहीं की है, देरी का उचित एवं पर्याप्त कारण है। अतएवं मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 ने आप न्यायालय में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रार्थी व अन्य विपक्षीगणों के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर वादी की साक्ष्य ली जाकर बिल्कुल नियमानुसार डिक्री पारित की गयी थी उसमें विपक्षी संख्या 1 पूरी जमीन की मालिक व कानूनी खातेदार होते हुए भी उसे 1/2 हिस्से का ही खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था, जिसके विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 आर.ए.ए. न्यायालय में अपील पेश की जिसमें प्रार्थी भी पक्षकार है। यदि प्रार्थी कथित डिक्री से नाराज है तो उसे भी क्रोस अपील पेश करने का अधिकार है, परन्तु अपील जब पहले हो चुकी है इस कारण ऐसे मामले में आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र लाई नहीं होता है एवं यह प्रार्थना पत्र इसी आधार पर निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 स्वीकार नहीं है। इस न्यायालय द्वारा कंकूबाई का वाद पूरे हिस्से का डिक्री किया जाना चाहिए था जो 1/2 हिस्से का ही डिक्री किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी आप न्यायालय के समक्ष मूलवाद में पक्षकार ही नहीं था तो उसने आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है। आदेश 9 नियम 13 के तहत का प्रार्थना पत्र वही व्यक्ति पेश कर सकता है जो मूल दावे में पक्षकार हो थर्ड व्यक्ति को ऐसा प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित भूमि के संबंध में वादिया ने कभी भी अपना हक नहीं त्यागा है, न ही कभी रिलीज डीड का निष्पादन कर उसका पंजीयन ही करवाया है। प्रार्थी प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा तो मानता है तथा 1/2 हिस्से की रिलीज डीड करना कहता

है, वह गलत है। जबकि वास्तव में कंकूबाई देवा की जायदाद की 1/2 हिस्से की मालिक नहीं होकर पूरे हिस्से की मालिक व काबिज होकर कानूनी खातेदार काश्तकार है। रता को देवा ने कभी भी गोद नहीं रखा न ही रता के असली माता–पिता ने उसे कभी गोद दिया। देवा की पत्नी जिन्दा थी एवं उसने कभी भी गोद लेने की सहमति नहीं दी। कथित गोदनामा एबइनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के है तथा राजस्व न्यायालय को गोद बिन्दु तय करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी यदि अपने आपको गोद पुत्र कहता है तो उसे सक्षम न्यायालय से घोषणा करानी चाहिए, उसके बाद उसे 1/2 हिस्से की जमीन प्राप्त होगी, परन्तु प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में गोद पुत्र घोषित किये जाने बाबत् कोई वाद ही पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी इस न्यायालय से गोद की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। आराजी नंबर 3242/3141 रकबा 0.5500 हैक्टर भूमि देवा की थी, जिसे इस वाद में सही शामिल किया गया है। कथित डिक्री दिनांक 08–05–2012 को निरस्त नहीं किया जा सकता, न ही एकपक्षीय आदेश दिनांक 23–08–2010 को ही निरस्त किया जा सकता है। कोई भी भूमि दलाल मौके पर नहीं आया है, प्रार्थी ने मनगढ़न्त बाते लिखी हैं। यह कहना गलत है कि प्रार्थी को कथित आदेश का ज्ञान दिनांक 21–06–2012 को हुआ है, जबकि प्रार्थी को कथित डिक्री का ज्ञान दिनांक 08–05–2012 को हो चुका था। वह हर पेशी पर उपस्थित होता रहा है। प्रार्थी किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतएवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

विपक्षी संख्या 2 गंगाबाई द्वारा भी आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 ने घोषणा का जो वाद प्रस्तुत किया है वह पूरी तरह से गलत आधारों पर है, क्योंकि रता जो कि देवा का गोद पुत्र होने से सम्पूर्ण भूमि का खातेदार होने से उसके द्वारा दिनांक 27–05–2005 को उक्त भूमि गंगाबाई को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से उक्त भूमि की एकमात्र मालिक काबिज गंगाबाई है। इस बात की जानकारी प्रार्थी रता को होने वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और ऐसी स्थिति में न्यायालय से एकपक्षीय डिक्री जारी हो गयी। कलम संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है, क्योंकि जो सम्मन रता को भेजे गये वह कानून में दिये गये प्रावधानों अनुसार प्रेषित किये गये हैं

और रता द्वारा लेने से इंकार के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। रता ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा गंगाबाई को विक्रय कर दिया और उसके बाद न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया उस आदेश के आधार पर जो नामान्तरकरण कंकुबाई व रता के पक्ष में खुला और जिसमें कंकु का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी में दर्ज किया गया उसे 1/2 हिस्से को कंकबाई ने स्वीकार करते हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 17–07–2013 को गंगाबाई को विक्रय कर दिया। इस प्रकार गंगाबाई सम्पूर्ण भूमि की मालिक काबिज हो चुकी है। इस प्रकार कंकूबाई एवं प्रार्थी का कोई हक हिस्सा उक्त भूमि में शेष नहीं रहा। अतएवं प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जावे।

दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन के खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी शुरू से थी, वह जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं रहा है। अतएवं देरी को कण्डोन नहीं किया जा सकता। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने प्रकरण संख्या 5/2013 निर्णय दिनांक 01–06–2015 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

"बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि रता पिता देवा जी डांगी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27–05–2005 द्वारा ग्राम थूर के खाता संख्या 358 खसरा नंबर 2242, 2253, 2254, 2392, 2404, 2410, 2412 कुल किता 7 रकबा 0.6600 हैक्टर भूमि को विपक्षी संख्या 2 श्रीमती गंगाबाई पत्नी कन्हैयालाल जी डांगी को विक्रय कर दी गयी साथ ही विपक्षी संख्या 1 ने भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17–07–2013 से ग्राम थूर की आराजी नंबर 2253, 2254, 2392, 2404, 2410, 2412 कुल किता 6 रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि में उनका 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 श्रीमती गंगाबाई को विक्रय कर ची है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर दिया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।"

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 01–06–2015 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–01–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01–06–2015 को उसे जानकारी दिसम्बर 2015 होने एवं इसकी नकले दिनांक 11–12–2015 को प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी के अभाव में डिले को कण्डोन किया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त दफा 5 के आदेवन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी कंकू द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि दिनांक 01–06–2015 के विरूद्ध उक्त अनवान में गलत अपील आप न्यायालय में धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गयी है, जबकि धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मूल डिक्री व निर्णय की अपील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है इसलिए धारा 223 के तहत अपील पेश करने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है। कथित आदेश दोनों पक्षों को सुनकर दिया गया है इसलिए अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि उन्हें निर्णय की जानकारी दिसम्बर 2015 में हुई है। कथित निर्णय की जानकारी कैसे हुई व किसके द्वारा हुई उस व्यक्ति का कोई शपथ पत्र आदि पेश नहीं किया गया है। अतएवं ऐसे मामलों में मयाद कण्डोन नहीं की जा सकती, जैसाकि आर.आर.डी. 1995 पेज 64 पर तय किया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी है, जिसमें निवेदन किया कि अपीलान्ट देवा का गोद पुत्र नहीं है तथा देवा की एक मात्र जाइन्दा पुत्री रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ही है। ऐसी स्थिति में उसे अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट गोद पुत्र है अथवा नहीं यह बिन्दु सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता, राजस्व न्यायालय को इस बिन्दु पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अपील निर्णय के 60 दिवस में प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा 5 महीने से भी अधिक समय बाद प्रस्तुत की गयी है, जो स्पष्ट रूप से मयाद बाहर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन सही खारिज किया गया है। अतएवं अपील खारिज की जावे।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री चन्द्रशेखर आमेटा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री प्रकाश पानेरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से नगर विकास प्रन्यास के अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

→ हमारे द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी। सर्व प्रथम दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन पर निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन पेश करने पर उक्त आवेदन पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25–05–2015 को उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी तथा दिनांक 01–06–2015 को उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील 30–07–2015 तक प्रस्तुत हो जानी थी, किन्तु इस न्यायालय में अपील दिनांक 14–01–2016 को अर्थात करीब 5½ माह विलम्ब से प्रस्तुत किया है, जिसके लिए जो आधार लिये गये हैं वह न तो उचित हैं न ही पर्याप्त। अपीलान्ट को दिसम्बर 2015 में जानकारी कैसे हुई व किसके द्वारा हुई, यह नहीं बताया गया है। उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी किये जाने का क्या उपक्रम किया गया है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। जब अपीलान्ट का प्रकरण एक बार पूर्व में एकतरफा हो चुका है तो उसे दुबारा यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपने प्रकरण में 5½ माह तक मौन रहे। स्पष्टया यह अपील 5½ माह विलम्ब से प्रस्तुत हुई है, जिसके लिए उनके द्वारा कोई ठोस एवं पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है। अतएवं अपील प्रथम दृष्टया बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है, जैसाकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1995 पेज 64 पर अभिनिर्धारित किया गया है कि मयाद कण्डोन किये जाने के लिए उचित एवं ठोस आधार होना चाहिए। अपीलान्ट द्वारा इस प्रकरण में किसी प्रकार का कोई ठोस एवं उचित आधार नहीं लिया गया है, तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की नकल कब प्राप्त हुई इसकी भी कोई साक्ष्य नहीं है।

प्रकरण में वैसे भी मूल वाद संख्या 82/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 08–05–2012 के विरूद्ध वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कर रखी है जो लम्बित होकर उसमें प्रार्थी/अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपस्थिति दे रखी है। अतएवं अपीलान्ट/प्रार्थी प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय मूल अपील में देखा जा सकेगा, तद्नुसार इस प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन किये जाने की कोई उपादेयता नहीं है। स्पष्टया यह अपील बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01–06–2015 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** ....

दौलतसिंह पिता भूरसिंह राजपूत, नि. सिंहाडा, हाल बिछडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **मंशाबाई पिता भूरसिंह राजपूत, नि. सिंहाडा, हाल बिछडी, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं...........**124/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**गिर्वा**.......... मुकाम................मुवर्खे.............**13**...............माह..............**06**............**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**21**....माह........**08**.......सन् **2017** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी.........**श्री नरेन्द्र चित्तौड़ा**........मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री अजयसिंह हाडा**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13—06—2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**21**......माह.......**08**...........**2017** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।